कार्यालय – प्राचार्य
शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)
Email Id –gskycollege@gmail.com

शिक्षकों के लिए आचार संहिता

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षको के आचरण के नियम...

1. प्रत्येक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है कि प्राचार्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को और पाठ्येतर प्रवृति को रुचिपूर्वक निष्ठा से निरालस रहकर और समय पर पूरा करें ।

2. छात्र अपने आचरण नियमो का अच्छी तरह से पालन कर सके इसके लिए प्रत्येक शिक्षक (जिसमें प्राचार्य भी सम्मलित है) स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए और छात्रों के मार्गदर्शन के लिए उन सब नियमो का पालन करे छात्र के लिए निर्धारित है।

3.प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान देना चाहिए की कक्षा के सभी छात्र अपने सभी विषय को अच्छी तरह समझे और उन्हें अपने पुस्तकों को पढ़ने की ओर प्रवृत्त किया जाये। जो छात्र अधिक मेधावी हो अथवा जो औसत से पिछड़े हो, उनके लिए विशेष प्रेरणा और मार्गदर्शन देना भी शिक्षको का कर्तव्य है।

4 .छात्रों तथा अभिभावको पर अनुचित दबाव डाल कर ट्यूशन करना या अन्य लाभ प्राप्त करना शिक्षको के लिए कुत्सित आचरण हैं।

5. परीक्षाओ पहले अथवा परीक्षा के बीच या परीक्षा के बाद किसी भी छात्र के प्रति विशेष पक्षपात या दुर्भावना करने वाले शिक्षक का आचरण अत्यंत कुत्सित आचरण गिना जाएगा ।

6. शिक्षाको को स्वयं अपने विषय का ज्ञान और अन्य विषयों का ज्ञान ताजा रखना चाहिए ।अपने विषय से सम्बंधित अच्छी पुस्तकें और ग्रंथ पुस्तकालय में आये और उसका लाभ अधिकाधिक छात्रों को मिले इस दिशा में सतर्क रहना चाहिये।

7. छात्रों और सहयोगीयो के साथ व्यवहार में भद्रता और निशछल वृति प्रत्येक शिक्षके में होनी चाहिए। विशेषत छात्रों के साथ प्रत्येक शिक्षक का सबंध सर्वथा पवित्र और निष्कलक रहना चाहिये।

8. शिक्षक के नाते से विश्विद्यालय अथवा अन्यत्र शिक्षक और प्राचार्य को जो स्थान प्राप्त है उसका मोह या लोभ के वश कभी दुरुपयोग नही करना चाहिये।

9. अध्यापन के साथ ही साथ शिक्षक इस बात पर भी विशेष ध्यान दे कि छात्रों के चरित्र का विकास हो और संस्था में अनुशासन बढ़े।

डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर
PRINCIPAL
Govt. Shahid Koushal Yadav College
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Email Id –gskycollege@gmail.com

छात्र – छात्राओं के लिए आचार संहिता

(1) प्रत्येक छात्र अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित प्रकार से अध्ययन पर लगावें। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठयेतर कार्यक्रमों में भी पूरा सहयोग देगा।

(2) कॉलेज की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास अधिक की शांति, सुव्यवस्था सुरक्षा और स्वच्छता में प्रत्येक छात्र रुचि लेगा और उन्हें कायम रखने में और सुधारने में सहयोग देगा। इसके विपरीत किसी भी प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ना तो भाग लेगा और ना दूसरों को उकसायेगा।

(3) महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में वह पूरी तरह सहयोग देगा और भाग लेगा और बिना प्रचार की अनुमति से कक्षा अथवा परीक्षा से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(4) प्रत्येक छात्र अपने व्यवहार में सहपाठियों और शिक्षकों से नम्रता का व्यवहार करेगा और कभी अश्लील, अपशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा

(5) छात्रों को सरल, निर्व्यसन मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिए। अतेएव विशेषत: कॉलेज या छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्ज्य रहेगा। वेशभूषा में भी छात्रों को तड़क-भड़क, विलासिता शोभा नहीं देती, इसका ध्यान रखना होगा।

(6) छात्रों को यदि कोई कठिनाई हो तो गुरुजन अथवा प्रचार के समक्ष निर्धारित प्रणाली से और शांतिपूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(7) आंदोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग छात्रा नहीं अपनायेंगे।

(8) छात्र सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे। अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार-पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप या सहायता नहीं माँगेंगे।

(9) परीक्षाओं में या उनके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

(10) महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति जिस प्रकार से बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे, ऐसा ही व्यवहार छात्रों के द्वारा अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए।

(11) आचरण के इन साधारण नियमों के भंग होने पर छात्रों को चाहिए कि दोषी व्यक्तियों को उचित दंड देने में सहयोग दें, जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य अध्ययन शांति और मनोयोग के साथ चल सके।

(12) छात्रों को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिकतामुलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे परंतु यदि ऐसा हुआ तो उनका नाम तत्काल कॉलेज के छात्रों में से हटा दिया जावेगा और न वे कॉलेज में किसी भी छात्र प्रतिनिधि के पद पर बनी रह सकेंगे।

डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर
PRINCIPAL
Govt. Shahid Koushal Yadav College
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)